(198)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय म०प्र०राजस्व मण्ड़ल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक :- /११-१२/ निगरानी - 871 - PBR/12

दबीरूल हसन पिता हुजुरूलहसन जैदी उम्र ६२ साल निवासी महिदपुर जिला उज्जैन (म०प्र०)

................आवेदक

प्रार्थी/अभिभाषक श्री अखलाक कुरैशी
द्वारा, प्रस्तुत 27-2-2012
दिनांक......
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

विरूद्ध

वाजिंद पिता मन्सुरहसन उर्फ बाबुभाई उम्र ३२, साल निवासी १२४, लक्ष्मीबाई मार्ग उज्जैन

121
27/2/2012

................अनावेदक

Recived Copy
Wajid
28/3/12

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा ५० भू०रा० संहिता

माननीय महोदय,

3-9-12

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक ४१/नि०/०६.१० में पारित आदेश दिनांक २७/१२/११ से असन्तुष्ट एंव दुखित होकर निम्न कारणों के आधार आदेश की जानकारी दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि-विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश, आदेश की परिभाषा में ही नहीं आता है अर्थात स्पीकिंग आदेश न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०३. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो बिन्दु उठाए गए थे उन पर विचार किये बिना जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

०४. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने वैध एवं उचित आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

(3)

०५. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिबा को सिद्ध करने हेतु उभयपक्ष की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-871-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	